

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 962]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 962]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का. आ. 1473(अ).—केन्द सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि टेलरों को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 96ग एवं नियम 97 के उपनियम (3) के उपबंधों से 1 जनवरी, 2017 की अविध तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, छूट प्रदान करती है।

[फा. सं आर.टी-11036/31/2010-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22th April, 2016

S.O. 1473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts agricultural trailers from the purview of rule 96C and sub-rule (3) of rule 97 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 till 1st January, 2017 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. RT-11036/31/2010-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

1921 GI/2016